

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गीतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 01-0765-2583650 फ़ैक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

(Email)

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./29/2010/830

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित स्थान/जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री डी.के. खटके, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE - AM6885)	कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी इन्दौर (DISE CODE- 2326010DS04)	संयुक्त संचालक उज्जैन संभाग उज्जैन (UNIQUE CODE-232107ORS01)
2	श्री छत्रसिंह डाबर, लेखापाल (UNIQUE CODE - AS8050)	शासकीय कन्या हाईस्कूल रतनगढ़, जिला नीमच (DISE CODE - 23180566615)	रतलाम
3	श्री प्रदीप कुमार गर्ग, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE - BA6972)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला श्योपुर (DISE CODE- 230109ODS01)	ग्वालियर
4	श्री रज्जुलाल कुम्हार, भृत्य (UNIQUE CODE-अप्राप्त)	शासकीय हाईस्कूल पताई, जिला रीवा (DISE CODE- 23140866614)	सतना
5	श्री चन्द्रशेखर मेश्राम, भृत्य (UNIQUE CODE-AN6205)	शा. माध्यमिक शाला झिझरी जिला कटनी (DISE CODE- 23380304101)	बालाघाट
6	श्रीमती शान्ति बाई, भृत्य (UNIQUE CODE-AA3171)	शा. महात्मा गांधी उ.मा.वि. बालक भेल भोपाल (DISE CODE- 23320377705)	छतरपुर
7	श्रीमती गुडडी बाई चौबे, भृत्य (UNIQUE CODE-AN7213)	शा. उ.मा.वि. स्त्रीमनाबाद, जिला कटनी (DISE CODE- 23380177703)	जबलपुर
8	श्री सुदर्शन सिंह राजपूत, भृत्य (UNIQUE CODE-AL5753)	शा.मा.वि. नजरपुरा, विकास खण्ड टिमरनी जिला हरदा (DISE CODE- 23360209103)	विदिशा
9	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, भृत्य (UNIQUE CODE - BF6182)	शा. मा.शाला गरेटा, तह. सिरोंज जिला विदिशा (DISE CODE - 23310610303)	जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल (DISE CODE- 233203IDS01)
10	श्री भम्भन सिंह नगपुरे, भृत्य (UNIQUE CODE - AC1990)	शा.मा.वि. बरखेडा गोड तह. व जिला अशोकनगर (DISE CODE - 23460206502)	बालाघाट

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2010/एक/9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010-11 की स्थानांतरण नीति) की कडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने के उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए। अनिशेष की स्थिति में स्थानांतरण निरस्त सबधी प्रस्ताव संचालनालय को भेजे।

(Handwritten Signature)

3/ उक्त जिला/संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।


4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।


8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


अध्युक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 15.06.2010

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अ.जि.स्थानां./29/2010/80)
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला, कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र.।
8. प्राचार्य, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल।
9. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अध्युक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश